

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) सीकर



क्रमांक : 819-825 / राजस्व / 06

दिनांक 04.11.2006

संपरिवर्तन - आदेश

प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन पालवास रोड़, ग्राम नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा जाति जाट तह0 सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र व पेरा-फेरी बेल्ट कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8(2)(8)(3) व राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के अधीन अकृषि प्रयोजनो के लिये इसके द्वारा संस्थानिक संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

- 1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता
प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, पालवास रोड़, सीकर गांव - नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा जाति जाट सीकर नहीं
- 2 क्या आवेदक अनु0 जाति या अनु0 जनजाति का सदस्य है:
नानी, ग्राम पंचायत नानी, तह0 सीकर
- 3 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
(ख) भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(ग) प्रत्येक खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमी0 में)
ख0 नं0 1392/965 रकबा 0.56 हैक्टर
ख0 नं0 1392/965 रकबा 0.56 हैक्टर अर्थात 5600 वर्ग मीटर
नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है।
- 4 संपरिवर्तन का प्रयोजन
संस्थानिक रूपान्तरण, शिक्षण कार्य हेतु
- 5 संदेय प्रीमियम की दर
10.00 रु. प्रति वर्गगज 5000 वर्गगज तक व शेष 1699 वर्गगज का आधी 05.00 रु. प्रति वर्गगज से

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary

Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

- 6 चालान की सं० तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान नं० 484 दिनांक 3.11.2006 के द्वारा संस्थानिक रूपान्तरण शुल्क 58,495.00 रुपये व शास्ति 25 प्रतिशत की दर से 7000 वर्गफुट का 14,617.00 रु., कुल रुपये 73,112.00 राज्य कोष में जमा हो चुके हैं।
- 7 चालान की सं० तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम कोई नहीं
- 8 चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम कोई नहीं
- 9 क्या आदेश नियमितिकरण के नियम 12 के अधीन जारी किया गया है। नहीं
- 10 अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो
- 11 उपर्युक्त सयंपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा:
1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
 3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपभोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा
- संपरिवर्तित भूमि पर किसी प्राकर का निर्माण कार्य हाइवे प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित दुरी व उचाई तक ही किया जाना वैध होगा।



क्रमांक: 819-825/राज/ए/2006

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सीकर
2. तहसीलदार, सीकर
3. जिला राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय सीकर
4. सम्बंधित ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का नानी

15 आवेदक - प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर ऐज्युकेशन, पालवास रोड, सीकर गांव नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा

प्रमाणित फोटोप्रति


4/11/06
उप खण्ड अधिकारी, सीकर
दिनांक: 4-11-2006

उप खण्ड अधिकारी, सीकर

नगर सुधार न्यास, सीकर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख



आज वर्ष 2014 के माह 31+5/2 के 13
 सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है)
 श्री प्रीम एमिसि आफ टापर एड्युकेशन समिति परिषद अध्यक्ष डॉ.
 सुन्दा प्रो. गोपाल सिंह जाति GAT व्यवसाय

श्यामपुरा तह. छोद जिला सीकर (जिनके बाद लीजधारक संबोधित
 है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्यात, प्रतिनिधि और
 अल्ले भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। प्रीमियम राशि 77515/- विकास शुल्क 10233350/-

इह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई
 किन्तु रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित
 किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड
 संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

नगर के खसरा संख्या 1663/955, 1666/956 क्षेत्रफल 8159.44 वर्ग मी. में स्थित है और जो
 और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से
 नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक
 तरफों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में
 लाया -

नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल
 दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम

अनुसृत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 77515/- 31/12
 एका पौन्च अंके को पन्द्रह रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय
 (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को
 करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय
 की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का
 होगा।

नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे
 पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय
 भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

भूखण्ड का उपयोग केवल शैक्षणिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी
 किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा
 पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य
 आवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय
 है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी
 मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं
 द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय
 विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये
 की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस
 की जायेगी।

अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक विकास प्रमारों का कोई
 स्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की प्रमाणित फीस से वसूलीय होगा।

Secretary
 Prince Academy of Higher Education
 Palwas Road, SIKAR
 उषु पंजीयक, सीकर

- 9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर बुर्खापदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करके उक्त प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।
- 10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एफ.सी.अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : सीकर
 राजस्व ग्राम : गौरी
 खसरा नम्बर : 1663/955 व 1666/956
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
 वर्ग गज/मीटर : 81.59.44 वर्ग मीटर

पूर्व 1664 , 1667 पश्चिम A.G. Land
 की संख्या 955 956 यदि कोई हो
 सीमा उत्तर दक्षिण Road 80 feet
 मानचित्र संख्या

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर करवाये।

नगरीय निकाय की ओर से



के माह 10 के 13 वें दिन श्री सचिव नगर सुधात न्याय सीकर (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

सचिव

(सक्षम अधिकारी) सचिव नगर निकाय - प्रधान

- साक्षी :-
- 1. नाम संदीप माटिचा पुत्र जगदीश माटिचा
 व्यवसाय गौरी निवास स्थान आम्बेडकर नगर सीकर
 - 2. नाम मनीष पारीक पुत्र बालदेवरूप पारीक
 व्यवसाय गौरी निवास स्थान मुन्नाथ चौक सीकर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज 20.14 के माह अक्टूबर के 13 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में

श्री प्रिंस एकेडमी ऑफ एजुकेशन समिति लीजधारक द्वारा कार्यालय U.I.T. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

- साक्षी :-
- 1. नाम जोहान्ना सिंह पुत्र गोपाल सिंह
 व्यवसाय सहाय संचालक निवास स्थान इमामपुरा - सीकर
 - नाम राजेश कुमार प्रमाणित गोपति
 व्यवसाय शिक्षक निवास स्थान गोरु एम
पंजीयक कर क्रमांक - 992


साक्षी के हस्ताक्षर

TOTAL AREA 8159.44 sq. 822.33 sq.

Site Engineer का निष्पत्ति नगर सुधात सीकर



नगर सुधार न्यास, सीकर



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2017 अगस्त के 23

वे दिन नगर सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री श्री स्वामी झांक धार शंकरान जारिय इत्यम पीपुष शुष्ण

पुत्र श्री गोपाल सिंह शुष्ण जाति जाट व्यवसाय शैक्षणिक

निवासी ग्राम श्यामपुरा टाड.घोष जिला सीकर

किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, पक्षक प्रतिनिधि और मुत्तकित्त अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। प्रीमियम राशि 759040 विकास शुल्क 3396/-



यह विलेख सम्पादित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम नाती के खसरा संख्या 1679/958, 1728/95 क्षेत्रफल 5822.47 म स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संज्ञानों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 607232 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण की मूल्य नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल शैक्षणिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढोती जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक / बाह्य विनिर्धारणों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से बसूलीय होगा।

Handwritten signature

Secretary

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कंपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट दें। **U.I.T को सार्वजनिक उपयोग हेतु आवश्यक होने पर संस्थान द्वारा 5% ग्रामी निशुल्क परिशिष्ट उपलब्ध कराई जावेगी।**

कस्बे का नाम: सीफार
 राजस्व ग्राम: गानी
 खसरा नम्बर: 1679/958, 1728/958
 योजना का नाम: -
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
 वर्ग गज/मीटर 5822.47 sq meter

पूर्व 1648 की ग्राम पश्चिम 1127 की ग्राम भूखण्ड
 की संख्या यदि कोई हो
 सीमा उत्तर स. 959 की ग्राम दक्षिण पालपास
 ई. मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

शिव नगर विकास न्यास सीकर

आज सन 20.17 के माह 14 के 23 वें दिन श्री

ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -



(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 नगर विकास न्यास प्रथम पक्ष
 सीकर

साक्षी :-

1. नाम मधवीर प्रसाद सैनी पुत्र डाशाराम सैनी
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान उदयपुरवाटी (सुंसुनु)

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ज्योत्सना चौधरी पुत्री श्री धन्ना लाल जाट
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान सीकर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज सन 20.17 के माह 14 के 23 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त

श्री प्रिंस एडवोकेट ऑफ हायर एज्युकेशन जबिये लीजधारक द्वारा कार्यालय U.I.T में हस्ताक्षर किये गये।
 अक्षय पीपुष सुब्बा पुत्र श्री गोपाल सिंह सुब्बा

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम सुनिल कुमार पुत्र श्री मदन लाल
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान सिहोट छोरी

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम दिनेश कुमार पुत्र श्री गणपत राम
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान दुजादे

साक्षी के हस्ताक्षर